मध्य प्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

क्रमांक ऐफ-६/४/छः/८६ भोपाल, दिनांक २७ जनवरी, ८७

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय– कब्रस्तान तथा उसकी खुली भूमि की सुरक्षा के लिए दीवार/तार की व्यवस्था ।

कल्याण मंत्रालय के सुझाव पर आदेशानुसार आपका ध्यान भू–राजस्व संहिता १९५९ की धारा १२७ की ओर आकर्षित किया जाता है । अनुरोध है कि उक्त धारा के प्रावधानुसार आप अधीनस्थ समस्त तहसीलदारों को निर्देश दें कि वह उनकी तहसील में स्थित मुसलमानों के कब्रिस्तानों का सीमांकन कराकर पत्थर गढ़वाने की व्यवस्था करें ।

२- आपके कार्यालय में उपलब्ध वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण प्रतिवेदन से आपको मुसलमानों के उन कब्रस्तानो की जानकारी प्राप्त हो जावेगी जो वक्फ है ।

३– प्रस्तावित है कि इस मुद्दे को आप राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक मे स्थायी रूप से सम्मिलित करें और हर बैठक में प्रगति की समीक्षा करते रहे और बैठक की कार्यवाई का उद्वरण इस विभाग को प्रति माह भेजने की व्यवस्था करें ।

४- इस ज्ञाप की अभिस्वीकृति और की गई कार्यवाई की जानकारी इस विभाग को भेजने की व्यवस्था करें ताकि समय समय पर भारत सरकार को अवगत कराया जा सके ।

हस्ताक्षर
(एस० जी० मुचरीकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

पृ० क्र० एफ/६/४/छः ८६ भोपाल, दिनांक २७ जनवरी, ८७

प्रतिलिपि :-

समस्त आयुक्त .... संभाग ....
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ताक्षर
अवर सचिव